

[2023] 4 एस. सी. आर 126

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 4 एस सी आर।

ए.

मेसर्स श्री महावीर एजेंसी और ए. एन. आर. बनाम

पश्चिम बंगाल राज्य और ए. एन. आर. (2023 की आपराधिक अपील संख्या 982) अप्रैल 17, 2023

बी.

[अभय एस. ओका और राजेश बिंदल, जे. जे.]

खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, 1954:एसएस17, 14, 16(1)(क) (i), 19 (2)–खाद्य मिलावट–संरक्षण यू/एस। 19(2), विक्रेता को–उपलब्धता–अपीलार्थी ने चालान के माध्यम से निर्माता से 'पान पराग' खरीदा और उसे बेच दिया–अपीलार्थी से पान मसाला खरीदार के व्यावसायिक परिसर से एकत्र किए गए 'पान मसाला' का नमूना–जब्त किए गए नमूनों का परीक्षण किया गया और मानक से कम पाए गए–अपीलार्थी का मामला कि वह केवल एक विक्रेता है जिसने सीलबंद पैकेट में निर्माता से पान मसाला खरीदा और उसे अपने ग्राहकों को बेच दिया; और उस निर्माता ने बेचे गए उत्पाद की प्रकृति और गुणवत्ता के बारे में वारंटी दी थी, इस प्रकार, उसने यू/एस से सुरक्षा का अनुरोध किया। 19(2) – निचली अदालत ने खरीदारों को सुरक्षा का लाभ दिया तथापि, धारा 19 (2) ने अपीलार्थी को यू/एस द्वारा दोषी ठहराया। 16(1)(a) (i) रू 517 – निम्नलिखित न्यायालयों द्वारा दोषसिद्धि और सजा का आदेश बरकरार रखा गया–अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया:एस का उपखंड (ii)। 19(2)(क) यह प्रावधान करता है कि एक विक्रेता को भोजन की किसी भी मिलावटी या गलत ब्रांड वाली वस्तु की बिक्री से संबंधित अपराध करने वाला नहीं माना जाएगा यदि वह यह साबित करता है कि उसने किसी भी निर्माता, वितरक या व्यापारी से निर्धारित प्रपत्र में लिखित वारंटी के साथ भोजन की वस्तु खरीदी है–अपीलार्थी के पास एस के संदर्भ में वैध बचाव था। 19(2) जैसा कि उनके द्वारा बेची गई पैक की गई वस्तु 'पान पराग' के निर्माता से निर्धारित रूप में एक लिखित वारंटी थी–इसलिए, यू/एस सुरक्षा उपलब्ध थी। 19(2)(क) उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनार करते हुए–खाद्य मिलावट रोकथाम नियम, 1955 –आर. 12 ए.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

मंगलदास राघवजी रूपारेल और एक अन्य बनाम राज्य

महाराष्ट्र राज्य 1965 (2) एस. सी. आर. 894–निर्दिष्ट। मामला कानून संदर्भ

1965 (2) एससीआर 894

संदर्भित किया गया है

पैरा 14 ए

एच.

126

127

मेसर्स श्री महावीर एजेंसी और ए. एन. आर. बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और ए. एन. आर.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: 2023 की आपराधिक अपील संख्या 982।

2014 के सी. आर. आर. सं. 64 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय के दिनांक 08.06.2016 के निर्णय और आदेश से।

ए. के. सेनगुप्ता, सूरज प्रकाश, सुजीत कुमार गुप्ता, वेंकटेश्वर राव अनुमोलु, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

बी.

सुनील फर्नांडिस, सुश्री आस्था शर्मा, श्रीसत्य मोहंती, संजीव कौशिक, सुश्री मंटिका हरियानी, श्रेयस अवस्थी, हिमांशु चक्रवर्ती, सुश्री रिपुल स्वाति कुमारी, दिव्यांशु तिवारी, भानु मिश्रा, देवव्रत सिंह, सुश्री मुस्कान सुराना, कुणाल चटर्जी, सुश्री मैत्रेयी बनर्जी, रोहित बंसल, सुश्री क्षितिज सिंह, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

सी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

राजेश बिंदल, जे।

1. अपीलार्थी पर खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, 1954 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 7 के साथ पठित धारा 16 (1) (ए) (आई) के तहत दायर एक शिकायत में आरोप लगाया गया था। कलकत्ता के वरिष्ठ नगर मजिस्ट्रेट ने उन्हें दोषी ठहराया और छह महीने की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई। अपील में, अपीलार्थी की दोषसिद्धि और सजा को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, कलकत्ता द्वारा आपराधिक अपील No.106/2007 में दिनांकित 26.06.2009 निर्णय के माध्यम से बरकरार रखा गया था। इस आदेश को कलकत्ता में उच्च न्यायालय के समक्ष सी. आर. आर. No.64/2014 वाली एक पुनरीक्षण याचिका दायर करके चुनौती दी गई थी जिसे 08.06.2016 पर खारिज कर दिया गया था। इस फैसले को इस अदालत के समक्ष चुनौती दी गई है।

डी.

ई.

एफ.

2. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने एक कानूनी तर्क दिया और प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी केवल एक विक्रेता है जिसने निर्माता मेसर्स कोठारी पाउचेस लिमिटेड से खाद्य पदार्थ पान मसाला, अर्थात् 'पान पराग', सीलबंद डिब्बाबंद स्थिति में खरीदा और इसे अपने ग्राहकों को बेच दिया। अधिनियम की धारा 14 के संदर्भ में, निर्माता ने याचिकाकर्ताओं द्वारा बेचे गए उत्पाद की प्रकृति और गुणवत्ता के बारे में वारंटी दी थी। यह एक बिल के रूप में था जिसमें वारंटी के संदर्भ में एक विशिष्ट नोट था। अधिनियम की धारा 19 (2) के संदर्भ में अपीलार्थी को संरक्षण उपलब्ध है जो अधिनियम के तहत अभियोजन में उपलब्ध बचाव का प्रावधान करता है। निचली अदालतें उपरोक्त कानूनी तर्क पर विचार करने में विफल रहीं और दोषसिद्धि को बरकरार रखा।

जी.

एच.

128

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 4 एस सी आर।

ए.

3. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें अपीलकर्ता से पान मसाला की खरीदार चंदा अग्रवाल के व्यावसायिक परिसर से 'पान पराग' नामक पान मसाला के नमूने एकत्र किए गए थे। शुरुआत में चंदा अग्रवाल और विनोद अग्रवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। हालाँकि, उनके द्वारा दायर एक आवेदन पर, अपीलार्थी को एक अभियुक्त के रूप में आरोपित किया गया था क्योंकि उन्होंने अपीलार्थी से खरीद दिखाने वाला बिल प्रस्तुत किया था। केवल अपीलार्थी को उक्त मामले में दोषी ठहराया गया था क्योंकि चंदा अग्रवाल और विनोद अग्रवाल को अधिनियम की धारा 19 (2) के तहत संरक्षण का लाभ दिया गया था। जब्त किए गए पान मसाला के नमूनों का दो बार परीक्षण किया गया, एक बार कलकत्ता नगर निगम के सार्वजनिक विश्लेषक द्वारा और फिर अपीलार्थी के आवेदन पर सी. एफ. टी. आर. आई., मैसूर में केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला द्वारा। दोनों बार नमूना अधिनियम और उसके बनाए गए नियमों के तहत 'पान मसाला' के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं था और परीक्षण विफल रहे। इसलिए, अपराध स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया था।

बी.

सी.

4. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी को केवल तकनीकी आधारों पर मुक्त रूप से जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। निर्माता या वितरक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में वारंटी दी जानी चाहिए। हाथ में मामले में, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत ऐसी कोई वारंटी नहीं है। नीचे सभी न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष हैं। एक अन्य तर्क यह है कि अपीलार्थी को विक्रेता नहीं कहा जा सकता है। हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है।

डी.

ई.

5. प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाई गई दलीलों के जवाब में, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने मंगलदास राघवजी मामले में इस अदालत के संविधान पीठ के फैसले का उल्लेख किया।

रूपरेल और एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य 1 यह प्रस्तुत करने के लिए कि

हालांकि अधिनियम में "विक्रेता" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, हालांकि, इसका अर्थ एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने भोजन की वस्तु बेची है, जिसे कथित रूप से मिलावटी माना जाता है।

एफ.

6. पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना और प्रासंगिक संदर्भित रिकॉर्ड का अध्ययन किया।

7. पक्षकारसभक लेल विद्वान वकीलक द्वारा उठायल तर्कक सराहना करबाक लेल, अधिनियमक धारा 14 आ 19 क प्रावधानक सन्दर्भ प्रासंगिक होयत। वही नीचे पढ़ा गया है:—

जी.

." 14. निर्माताओं, वितरकों और विक्रेताओं को देना है

वारंटी।—इसका कोई निर्माता या वितरक या विक्रेता नहीं है।

एच.

1 ए. आई. आर. 1966 सुप्रीम कोर्ट 128 ए

129

मेसर्स श्री महावीर एजेंसी और ए. एन. आर. बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और ए. एन. आर. [राजेश बिंदल, जे।] ए.

भोजन की कोई भी वस्तु ऐसी वस्तु को किसी भी विक्रेता को तब तक बेचेगी जब तक कि वह विक्रेता को ऐसी वस्तु की प्रकृति और गुणवत्ता के बारे में निर्धारित प्रपत्र में लिखित रूप में वारंटी भी नहीं देता है: बशर्ते कि किसी खाद्य पदार्थ के निर्माता या वितरक या विक्रेता द्वारा उसके विक्रेता को दी गई किसी वस्तु की बिक्री के संबंध में कोई बिल, नकद ज्ञापन या चालान इस धारा के तहत ऐसे निर्माता, वितरक या विक्रेता द्वारा दी गई वारंटी मानी जाएगी।

बी.

स्पष्टीकरण।—इस धारा में, धारा 19 की उप-धारा (2) और धारा 20-ए में, "वितरक" अभिव्यक्ति में एक कमीशन एजेंट शामिल होगा।"

सी.

." 19. ऐसे बचाव जिनकी अनुमति दी जा सकती है या नहीं भी।

इस अधिनियम के तहत अभियोजन।—(1) भोजन की किसी भी मिलावटी या गलत ब्रांड वाली वस्तु की बिक्री से संबंधित अपराध के लिए अभियोजन पक्ष में केवल यह आरोप लगाना कोई बचाव नहीं होगा कि विक्रेता अपने द्वारा बेचे गए भोजन की प्रकृति, पदार्थ या गुणवत्ता से अनजान था या खरीददार जिसने विश्लेषण के लिए कोई वस्तु खरीदी थी, वह बिक्री से प्रभावित नहीं था। (2) एक विक्रेता को किसी भी मिलावटी या गलत ब्रांड वाली खाद्य वस्तु की बिक्री से संबंधित अपराध नहीं माना जाएगा यदि वह साबित करता है -

डी.

ई.

(क) कि उसने खाद्य पदार्थ खरीदा—(i) ऐसे मामले में जहां उसकी बिक्री के लिए लाइसेंस निर्धारित किया गया है, किसी विधिवत लाइसेंस प्राप्त निर्माता, वितरक या विक्रेता से।

एफ.

((ख) किसी भी अन्य मामले में, किसी भी निर्माता, वितरक या विक्रेता से, निर्धारित प्रपत्र में लिखित वारंटी के साथ; और

(ख) कि उसके कब्जे में भोजन की वस्तु को ठीक से संग्रहीत किया गया था और उसने इसे उसी स्थिति में बेचा था जब उसने इसे खरीदा था।

जी.

(3) कोई भी व्यक्ति जिसके द्वारा धारा 14 में निर्दिष्ट वारंटी कथित रूप से दी गई है, सुनवाई में उपस्थित होने और साक्ष्य देने का हकदार होगा।"

एच.

130

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 4 एस सी आर।

8. अधिनियम की धारा 14 के अवलोकन से पता चलता है कि निर्माता या वितरक या विक्रेता पर किसी भी वस्तु को किसी भी विक्रेता को बेचने पर प्रतिबंध है, जब तक कि उसने विक्रेता को ऐसी वस्तु की प्रकृति और गुणवत्ता के बारे में लिखित रूप में वारंटी नहीं दी हो। खाद्य मिलावट रोकथाम नियम, 1955 का नियम 12 ए (संक्षेप में, "नियम") वारंटी देने की प्रक्रिया निर्धारित करता है।

बी.

यह नीचे लिखा है:-

" 12 ए. वारंटी।- प्रत्येक निर्माता, वितरक या विक्रेता जो किसी विक्रेता को भोजन की वस्तु बेचता है, वह या तो अलग से या बिल में, नकद ज्ञापन या लेबल में फॉर्म वी. आई. ए. में वारंटी देगा।

सी.

9. उसकी धारा 14 के प्रावधान में यह प्रावधान है कि किसी वस्तु के निर्माता या वितरक या विक्रेता द्वारा उस वस्तु के विक्रेता को दिए गए किसी भी वस्तु की बिक्री के संबंध में एक बिल, नकद ज्ञापन या चालान को ऐसे निर्माता, वितरक या विक्रेता द्वारा दी गई वारंटी माना जाएगा।

डी.

10. फॉर्म वी. आई. ए., जैसा कि नियमों के 12 ए में संदर्भित है, खाद्य पदार्थ बेचने वाले निर्माता, वितरक या विक्रेता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली वारंटी का पाठ प्रदान करता है। वही नीचे पढ़ा गया है:- ए.

"[FORM VIA
(See rule 12 A)
FORM OF WARRANTY

Invoice No.
Form
To

Place.....
Date.....

Date of Sale	Nature and quality of Article/Brand Name, if any	Batch No. or Code No.	Quantity	price
1	2	3	4	5

I/ We hereby certify that food/ foods mentioned in this invoice is/are warranted to be of the nature and quality which it/ these purports/purport to be.

.....
Signature of Manufacturer,
Distributor or Dealer

Name and Address of
Manufacturer/ Packer
(in case of packed article).

Licence No.
(Wherever applicable.)]"

ई.

एफ.

जी.

एच.

131

मेसर्स श्री महावीर एजेंसी और ए. एन. आर. बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और ए. एन. आर. [राजेश बिंदल, जे।] ए.

11. धारा 14, नियम 12 ए और प्रपत्र वी. आई. ए. के एक संयुक्त पठन में यह प्रावधान है कि कोई भी निर्माता या वितरक या किसी भी खाद्य वस्तु का विक्रेता किसी भी विक्रेता को ऐसी वस्तु नहीं बेचेगा जब तक कि उसने विक्रेता को ऐसी वस्तुओं की प्रकृति और गुणवत्ता के बारे में निर्धारित प्रपत्र में लिखित रूप में वारंटी नहीं दी हो। वारंटी देने की प्रक्रिया नियमों के नियम 12 ए में प्रदान की गई है। धारा 14 के प्रावधान में कहा गया है कि निर्माता या वितरक या विक्रेता द्वारा किसी भी वस्तु की बिक्री के संबंध में दिया गया बिल, नकद ज्ञापन या चालान भी ऐसे निर्माता, वितरक या विक्रेता द्वारा दी गई वारंटी मानी जाएगी। प्रपत्र वी. आई. ए. वारंटी का पाठ प्रदान करता है।

बी.

12. प्रदर्शनी सी/अनुलग्नक पी-1, अर्थात् बिल सं. 1377 दिनांक 12.08.1999, जिसे अपीलार्थी ने मेसर्स कोठारी पाउचेस लिमिटेड से 'पान मसाला' खरीदा था, रिकॉर्ड में है। इसमें एक प्रमाणन शामिल है

सी.

." 1. हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि इस चालान में उल्लिखित माल प्रकृति और गुणवत्ता के होने की गारंटी है जो ये होने का तात्पर्य है।"

'पान मसाला' के निर्माता द्वारा दिए गए उपरोक्त प्रमाणन के अवलोकन से पता चलता है कि यह कानून की आवश्यकता के संदर्भ में था। 13. अधिनियम की धारा 19 (2) उन बचावों का प्रावधान करती है जो अधिनियम के तहत अभियोजन से विक्रेता के लिए उपलब्ध हैं। अधिनियम की धारा 19 (2) (ए) के उपखंड (ii) में प्रावधान है कि एक विक्रेता को किसी भी मिलावटी या गलत ब्रांड वाली खाद्य वस्तु की बिक्री से संबंधित अपराध नहीं माना जाएगा यदि वह यह साबित करता है कि उसने किसी भी निर्माता, वितरक या विक्रेता से निर्धारित प्रपत्र में लिखित वारंटी के साथ खाद्य वस्तु खरीदी है। तदनुसार, अपीलार्थी के पास अधिनियम की धारा 19 (2) के संदर्भ में एक वैध बचाव था क्योंकि उसके द्वारा बेची गई पैक की गई वस्तु 'पान पराग' की निर्माता से निर्धारित रूप में लिखित वारंटी थी।

डी.

ई.

एफ.

14. 'विक्रेता' शब्द को इस तरह से परिभाषित नहीं किया गया है

अधिनियम में या नियमों में। मंगलदास राघवजी रुपारेल के मामले में (ऊपर),

विक्रेता शब्द का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने भोजन की वस्तु बेची है, जिसे कथित रूप से मिलावटी माना जाता है। पीठ ने कहा:—

“हालांकि अधिनियम में विक्रेता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन स्पष्ट रूप से इसका अर्थ वह व्यक्ति होगा जिसने कथित रूप से मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचा था।”

जी.

15. हाथ में मामले में, यह अपीलकर्ता है जिसने अधिनियम के तहत निर्धारित वारंटी वाले चालान के माध्यम से निर्माता से खाद्य पदार्थ खरीदने के बाद उसे बेच दिया और

एच.

132

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 4 एस सी आर।

नियम हैं। इसलिए, उन्हें अधिनियम की धारा 19 (2) (ए) के तहत संरक्षण उपलब्ध था।

16. हालाँकि, अधिनियम की धारा 20 ए में एक लंबित शिकायत में निर्माता, वितरक या विक्रेता को शामिल करने का प्रावधान है, हालाँकि, सुनवाई के समय ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था कि ऐसी कोई कार्रवाई की गई थी।

बी.

17. उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए, अपील की अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और अंतिम आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है। अपीलार्थी के जमानत बांड जारी किए जाते हैं।

सी.

निधि जैन

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायक: मयंक बत्रा और तमन्ना, एलसीआरए)

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.